19/11/24

वकील एम. एस. । वकील उलाहपद की की बहस सुनी गई। वकील उलाहपद इस बात पर सहमत है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.1.2015 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा पर दोनों पक्ष मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखेंगे। अतः दिनांक 28.1.2015 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को अन्तर्वर्ती किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती से बाद हो।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2024.12.17 17:24:32 IST
Reason: SelfAttested